(85)

...क्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2019 पुर्नविलोकन

पुनर्विलोकन-0545/2019/राजगढ़/भू0रा0

1. रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल गुप्ता निवासी रामगढ तहसील जीरापुर जिला राजगढ म.प्र.
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री बदीलाल गुप्ता निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुरेश पुत्र हरी सिंह दांगी निवासी फतेहपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म.प्र.
2. श्री नाथ पुत्र श्री गोकुल दांगी निवासी कुआखेडा तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ म.प्र.

.....मूलअनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध पारित माननीय एस0एस0 अली सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी **3732/2018** में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.04.2019 को पुर्नविलोकन करने वावत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev-0545/2019/राज016/Rev

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16–5–2019	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.4.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	